

विवाह पंजीयन बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज :

1. पाई पेपर पर पांच शपथ—पत्र पति, पत्नी / पंडित / काजी तथा दो गवाहों के शपथ—पत्र, उक्त शपथ—पत्र नोटेरी टिकट + पब्लिक नोटेरी द्वारा सत्यापित किये हुए होने चाहिए। (कुल शपथ—पत्र—5)
2. पति, पत्नी के अलग—अलग एक—एक पासपोर्ट साईज फोटो।
3. पति, पत्नी का संयुक्त फोटो साईज (3.2X2.5 इंच) के दो।
4. विवाह रस्म के फोटो (तीन या चार) फेरे, घरमाला डालते हुए आदि।
5. पति, पत्नी का आयु प्रमाण—पत्र (अंक तालिका या जन्म प्रमाण—पत्र या पेनकार्ड, टी.सी., ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट आदि कोई एक आई.डी. प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड किये होने चाहिए)
6. पति, पत्नी के निवास प्रमाण—पत्र (मूल निवास, ड्राईविंग लाईसेन्स, पहचान पत्र, लाईट / नल बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि कोई एक आई.डी. प्रूफ स्वयं हस्ताक्षरित किये हुए होने चाहिए एवं उक्त आई.डी. में आधार कार्ड अनिवार्य है।
7. शादी का कार्ड दोनों में से एक का होना चाहिए।
8. मुस्लिम / बोहरा समाज के लिए निकाहनामा जिसका अनुवाद हिन्दी में अनुवाद होकर स्वयं द्वारा हस्ताक्षर युक्त प्रमाणित होना चाहिए।
9. प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते समय पति—पत्नी को उपस्थित होना आवश्यक है।
10. गवाह व पंडित के आई.डी. प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड एवं पासपोर्ट साईज फोटो शपथ पत्र पर लगे होने चाहिए।

विवाह पंजीयन बनाने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया

1. आवेदनकर्ता आवेदन ई—मित्र से करें या राजस्थान सरकार की ऑनलाईन पोर्टल <http://pehchan.raj.nic.in> पर आवेदन करें।
2. आवेदनकर्ता ई—मित्र पर किये गये आवेदन को पूर्णतया जांच लेवे अन्यथा आवेदन पश्चात् किसी भी तरह का संशोधन मान्य नहीं होगा।
3. आवेदनकर्ता ई—मित्र पर (3.2X2.5 इंच) का जोईन्ट फोटो हस्ताक्षरयुक्त ही अपलोड करें।
4. आवेदनकर्ता आवेदन पश्चात् मोबाईल पर दी गई दिनांक को ही रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होंवे।
5. आवेदनकर्ता किये गये आवेदन की रसीद जमा करावें।
6. सात दिवस पश्चात् विवाह प्रमाण—पत्र इसी कार्यालय से प्राप्त करें।

नोट :- शपथ—पत्र रिक्त स्थान (FILL IN THE BLANK)

बाल्के पांच दाश से भरे द्वा मात्रा नहीं दाँगे।